उद्यमी की बैंक गारंटी एक्सपायर हुई तो जब्त होगा पूरा पैसा

अमर उजाला ब्यूरो

लखनऊ। उद्योगों के विकास के लिए प्रदेश सरकार जमीन की रजिस्ट्री पर लगने वाले शुल्क पर सौ फीसदी तक की छूट दे रही है। इस सुविधा का उद्देश्य निवेश व उद्यम को बढ़ावा देना है। छूट की आड़ में फर्जीवाड़ा होने की आशंका देखते हुए स्टांप एवं पंजीयन विभाग ने नए नियम लागू किए हैं। स्टांप छूट के एवज में उद्यमी द्वारा दी जाने वाली बैंक गारंटी एक्सपायर हुई तो गारंटी के रूप में रखा गया पूरा पैसा जब्त कर लिया जाएगा। स्टांप छूट के मामलों का अलग रजिस्टर बनेगा, जिसकी बारीक निगरानी की जाएगी। इस संबंध में विभाग की प्रमुख सचिव लीना जौहरी ने शासनादेश जारी किया है।

स्टांप छूट में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए शासन ने लिया फैसला

गारंटी एक्सपायर होने से पहले नवीनीकरण कराना उद्यमी की जिम्मेदारी

विभिन्न उद्यमों को लेकर सरकार ने स्टांप छूट की योजना जारी की है। स्टांप छूट के एवज में उद्यमी को छूट के बराबर की बैंक गारंटी देनी पड़ती है। ये बैंक गारंटी भी दो तरह की हैं- छोटे अंतराल की बैंक गारंटी और बड़े अंतराल की बैंक गारंटी। प्रावधान है कि इस बैंक गारंटी को परियोजना की समयावधि के अंदर नियमित रूप से नवीनीकरण कराया जाएगा। इसे लेकर तमाम संशय थे। इस बात की भी आशंका थी कि स्टांप छूट लेने के लिए कागजों में उद्यम स्थापित कर दें और हकीकत में जमीन का इस्तेमाल किसी अन्य मकसद के लिए किया जा रहा हो।

अब परियोजना अवधि से कम समय की बैंक गारंटी को लेकर तय किया गया है कि उद्यमी की जिम्मेदारी होगी कि वर्तमान बैंक गारंटी एक्सपायर होने से 15 दिन पहले नवीनीकरण कराकर विभाग को दे। अगर ऐसा नहीं किया तो एक्सपायर होने से एक दिन पहले विभाग गारंटी को जब्त कर लेगा, जिसकी वापसी नहीं होगी। यानी उद्यमी डिफाल्टर हो जाएगा। स्टांप के अधिकारी छूट के सभी मामलों की लगातार निगरानी करेंगे। सभी रजिस्ट्री कार्यालयों में स्टांप छूट मामलों का अलग रजिस्टर बनेगा। बैंक गारंटी की तारीखें दर्ज होंगी। वसूली न करने वाले अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।